प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 3697 / प्र०फी०नि०स०/2022
लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर , 2022
कार्यालय आदेश

160 - SIYA RAM GANGA PRASAD PHARMACY COLLEGE, MOHAMMADPUR,TINDOLA ROAD BANKI, BARABANKI आप
डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थान हेतु समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए अनुमन्य करते हुए
धिनियम-2006 एवं विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति कार्यालय के, **आदेश संख्या-2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा शै
022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया।

. उक्त आदेश दिनांक **23 जून, 2022 के बिन्दु-5** में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान को समिति की अधिकृत वेवसाइट **www.afrcup2018.in** पर पंजीकरण
ानक शुल्क के सम्बन्ध में अपनी आनलाईन सहमति /असहमति व्यक्त करनी थी,परन्तु आपके संस्थान द्वारा मानक शुल्क को स्वीकार /अस्वीकार किये जाने
म्बन्ध में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नही की गयी ,जो यह दर्शाता है कि आपके संस्थान को समिति कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश **संख्या-2877/प्र0फी0नि0स0**
देनांक 23 जून, 2022 द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है। उक्त आदेश दिनांक **23.06.2022 के बिन्दु-5** में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि "ऐसे संस्थान जि
ारा न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की गई और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर आवेदन/प्रत्यावेदन दिया है, उन संस
म्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है।"

. समिति कार्यालय के आदेश संख्या-**2877/प्र0फी0नि0स0/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा **शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष)** के लिए निर्धारित मानक शु
ापके संस्थान हेतु अनुमन्य किया जाता है, जो निम्नवत् हैः-

नेजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्कः-

ग्मांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु**
1	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	30,150.00
2	डी0फार्मा0	45,000.00
3	डी0आर्की0	30,250.00
4	डी0एच0एम0सी0टी0	31,300.00

नेजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्कः-

ग्मांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु**
1	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0 फार्मा0 के अतिरिक्त)	22,500

परोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। इस प्रकार नियत फीस में छात्र
गीस विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा फीस एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार की फीस सम्मिलित होगी। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस
यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट **www.afrcup2018.in** पर प्रदर्शित है तथा संस्थान द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्रा
 एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

. विनियमावली-2015 के बिन्दु-10 में प्राविधानानुसार **"किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपिटेशन फीस छात्रों से नह**
ायेगा।" समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या **अधिनियम-2006**
वेनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या सुसंगत शासनादेशों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली-2015 के
दी गई व्यवस्थानुसार संस्थान के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) **अधिनियम-2006 की धारा-4** के अन्तर्गत गठित समिति के किस
ादेश के विरूद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील
ाधिकरण के गठन **आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009** द्वारा किया जा चुका है।

रा

ंख्या एवं दिनांक तदैवः-
तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1)निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2)उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
3)प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4)संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
5)प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6)प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, उ0प्र0 शासन।
7)प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8)सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, उ0प्र0।

Siya Ram Ganga Prasad Pharmacy College * Barabanki *
Date- 03-02-2023

Digitally signed by RAJESH CHAN